

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

- (क) “टैरिफ मद”, “उप-शीर्ष”, “शीर्ष” और “अध्याय” पदों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष और अध्याय का है;
- (ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची की धारा और अध्याय नोट्स और पहली अनुसूची के सामान्य व्याख्यात्मक नोट्स सहित व्याख्या के नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना की व्याख्या पर लागू होंगे;
- (ग) इस अधिसूचना में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए, किन्तु केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) में परिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में उन्हें सौंपा गया है।

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 14/2025-Central Tax (Rate)

G.S.R. 656(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the rate of the central tax of 6 per cent in respect of goods specified in Schedule appended to this notification, that shall be levied on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No.	Tariff item, Sub-heading, Heading or Chapter	Description
(1)	(2)	(3)
1.	6815	Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks
2.	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
3.	6904 10 00	Building bricks
4.	6905 10 00	Earthen or roofing tiles

Explanation. — For the purposes of this notification, —

- (a) the expressions "tariff item", "sub-heading", "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);
- (b) the rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification;
- (c) the words and expressions used and not defined in this notification, but defined in the Central Goods and Service Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), shall have the same meanings as assigned to them in those Acts.

2. This notification shall come into force on the 22nd September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 14/2025 - एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 657(अ).— एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 12 प्रतिशत की एकीकृत कर की दर को अधिसूचित करती है, जो उन वस्तुओं की अंतरा-राज्य आपूर्ति पर लगाया जाएगा, जिनका विवरण उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में, टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं हैं, जैसा भी मामला हो, जैसा कि उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है।

अनुसूची

क्र. सं.	टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	6815	फ्लाई ऐश ईटें; फ्लाई ऐश समुच्चय; फ्लाई ऐश ब्लॉक
2.	6901 00 10	जीवाश्म भस्म या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी की ईटें
3.	6904 10 00	निर्माण ईटें
4.	6905 10 00	मिट्टी या छत की टाइलें

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

- (क) “टैरिफ मद”, “उप-शीर्ष”, “शीर्ष” और “अध्याय” पदों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष और अध्याय का है;
- (ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची की धारा और अध्याय नोट्स और पहली अनुसूची के सामान्य व्याख्यात्मक नोट्स सहित व्याख्या के नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना की व्याख्या पर लागू होंगे;
- (ग) इस अधिसूचना में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए, किन्तु केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) में परिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में उन्हें सौंपा गया है।

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 14/2025- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 657(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the rate of the integrated tax of 12 per cent in respect of goods specified in Schedule appended to this notification, that shall be levied on inter-State supplies of goods, the description of which is specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No.	Tariff item, Sub-heading, Heading or Chapter	Description
(1)	(2)	(3)
1.	6815	Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks
2.	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
3.	6904 10 00	Building bricks
4.	6905 10 00	Earthen or roofing tiles

Explanation.— For the purposes of this notification,—

- (a) the expressions "tariff item", "sub-heading", "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);
- (b) the rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification;
- (c) the words and expressions used and not defined in this notification, but defined in the Central Goods and Service Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), shall have the same meanings as assigned to them in those Acts.

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 14/2025 - संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 658(अ).— संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (1) और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 6 प्रतिशत की संघ राज्यक्षेत्र कर की दर को अधिसूचित करती है, जो उन वस्तुओं की अंतरा-राज्य आपूर्ति पर लगाया जाएगा, जिनका विवरण उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में, टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं हैं, जैसा भी मामला हो, जैसा कि उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है।

अनुसूची

क्र. सं.	टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	6815	फ्लाई ऐश ईटें; फ्लाई ऐश समुच्चय; फ्लाई ऐश ब्लॉक
2.	6901 00 10	जीवाश्म भस्म या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी की ईटें
3.	6904 10 00	निर्माण ईटें
4.	6905 10 00	मिट्टी या छत की टाइले

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

- (क) “टैरिफ मद”, “उप-शीर्ष”, “शीर्ष” और “अध्याय” पदों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष और अध्याय का है;
- (ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची की धारा और अध्याय नोट्स और पहली अनुसूची के सामान्य व्याख्यात्मक नोट्स सहित व्याख्या के नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना की व्याख्या पर लागू होंगे;
- (ग) इस अधिसूचना में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए, किन्तु केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) में परिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में उन्हें सौंपा गया है।

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 14/2025-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 658(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the rate of the union territory tax of 6 per cent in respect of goods specified in Schedule appended to this notification, that shall be levied on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No.	Tariff item, Sub-heading, Heading or Chapter	Description
(1)	(2)	(3)
1.	6815	Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks
2.	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
3.	6904 10 00	Building bricks
4.	6905 10 00	Earthen or roofing tiles

Explanation. — For the purposes of this notification, —

- (a) the expressions "tariff item", "sub-heading", "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);
- (b) the rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification;
- (c) the words and expressions used and not defined in this notification, but defined in the Central Goods and Service Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), shall have the same meanings as assigned to them in those Acts.

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सं. 02/2025 – प्रतिकर उपकर (दर)

सा.का.नि. 659(अ).— माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- प्रतिकर उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 720(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में,

अनुसूची में, —

- i. क्रम सं. 2 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- ii. क्रम सं. 3 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- iii. क्रम सं. 4 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- iv. क्रम सं. 4क के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- v. क्रम सं. 4ख के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- vi. क्रम सं. 39 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- vii. क्रम सं. 40 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- viii. क्रम सं. 41 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- ix. क्रम सं. 42 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- x. क्रम सं. 47 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

- xi. क्रम सं. 48 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- xii. क्रम सं. 50 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- xiii. क्रम सं. 51 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- xiv. क्रम सं. 52 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- xv. क्रम सं. 52क के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- xvi. क्रम सं. 52ख के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- xvii. क्रम सं. 53 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- xviii. क्रम सं. 54 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- xix. क्रम सं. 55 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

3. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना संख्या 1/2017- प्रतिकर उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 720(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 3/2023- प्रतिकर उपकर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 553(अ), दिनांक 26 जुलाई, 2023 के तहत प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 02/2025-Compensation Cess (Rate)

G.S.R. 659(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017-Compensation Cess (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 720(E), dated the 28th June, 2017, namely :-

In the said notification,

in the SCHEDULE, —

- i. against S. No. 2, for the entry in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- ii. against S. No. 3, for the entry in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;

- iii. against S. No. 4, for the entry in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- iv. against S. No. 4A, for the entry in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- v. against S. No. 4B, for the entry in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- vi. against S. No. 39, for the entry in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- vii. against S. No. 40, for the entry in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- viii. against S. No. 41, for the entry in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- ix. against S. No. 42, for the entry in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- x. against S. No. 47, for the entries in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- xi. against S. No. 48, for the entries in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- xii. against S. No. 50, for the entries in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- xiii. against S. No. 51, for the entries in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- xiv. against S. No. 52, for the entries in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- xv. against S. No. 52A, for the entries in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- xvi. against S. No. 52B, for the entries in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- xvii. against S. No. 53, for the entries in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- xviii. against S. No. 54, for the entries in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
- xix. against S. No. 55, for the entries in column (4), the entry “Nil” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: -The principal notification No.1/2017-Compensation Cess (Rate), dated the 28th day of June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 720(E), dated the 28th day of June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 3/2023-Compensation Cess (Rate), dated the 26th July, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), *vide* number G.S.R. 553(E), dated the 26th July, 2023.